



राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

प्रकाशक :



कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-भारत
का स्वायत्त संगठन

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

वित्त वर्ष 2017-18 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

ए.	लेखा और लेखापरीक्षा.....	1
बी.	स्थापना - एच.आर. स्थिति(स्टेटस).....	2
सी.	सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेटस).....	2
डी.	प्रौद्योगिकी और अन्य पहल.....	3
ई.	प्रयुक्त अनुसंधान और अध्ययन.....	3
एफ.	जागरूकता निर्माण, कार्यशालाएं और सेमिनार.....	4
जी.	क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार.....	4
एच.	सलाहकार एवं अन्य सहायता.....	5
आई.	एन.सी.सी.डी - उद्देश्य और विषयपरक	6
जे.	एन.सी.सी.डी की कार्यकारिणी	7
के.	एन.सी.सी.डी का शासी(गवर्निंग) परिषद.....	8
एल.	वर्ष 2017-18 में एन.सी.सी.डी की प्रत्यक्ष भागीदारी वाले आयोजन, सम्मेलन और बातचीत.....	9
एम.	प्रयुक्त संक्षिप्त और परिभाषाएं.....	11
एन.	लेखापरीक्षा एवं वार्षिक लेखा.....	12

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

वित्त वर्ष 2017-18 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

ए. लेखा एवं लेखापरीक्षा

एन.सी.सी.डी का पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत दिनांक 27-1-2011 को किया गया था और इसे समाज के सदस्य के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड में संचालित करने के लिए बनाया गया है। 09-2-2012 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिये जाने के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने समान राशि का कॉर्पस स्थापित करने के लिए इसे 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया, जिससे कि वहां से अर्जित ब्याज आय, और सेवाओं और शुल्कों से एन.सी.सी.डी द्वारा उत्पन्न अन्य आय का उपयोग प्रशासनिक, कर्मियों और अन्य लागतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि इसकी शासी परिषद द्वारा तय किया गया है। एन.सी.सी.डी इस तरह संरचित किया जाता है कि यह दिन-प्रतिदिन प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी से दूर होता है, और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव में कोई व्यय नहीं होता।

वर्ष 2017-18 के एन.सी.सी.डी खातों के लेखा-जोखा का ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया था जिसे इस कार्य के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मेसर्स एपीएन एंड एसोसिएट्स द्वारा पैनल में रखा गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आय और व्यय खाते का सारांश निम्न प्रकार है:

मद	रुपये लाख में
ब्याज और अन्य से आय	258.42
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	97.21
व्यय से अधिक आय	161.21
धारा 11 के अंतर्गत सकल आय का 15% छूट	38.76
अगले पांच वर्ष के लिए 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' प्रयोजनों के लिए शेष अलग सेट	122.45
कुल	161.21

एन.सी.सी.डी को जुलाई 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12ए.ए के अंतर्गत 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता, के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15 % आयकर से छूट प्रदान करता है। सकल आय का शेष 85 %, अनपेक्षित राशि कर के लिए उत्तरदायी है जब तक कि इस तरह की राशि अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत 5 वर्ष के भीतर भविष्य के खर्चों के लिए निर्धारित नहीं की जाती। वर्ष 2017-18 के लिए अब तक कोई आयकर बकाया नहीं है। एन.सी.सी.डी को कोल्ड चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 01.04.2016 से जीएसटी (पूर्ववर्ती सेवा कर) से भी छूट दी गई है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए विस्तृत खाता विवरण संलग्न है।

बी. स्थापना - एच.आर स्थिति(स्टेटस)

श्री पी. शकील अहमद, जेएस (एमआईडीएच) दिनांक 23.10.2015 से दिनांक 22.9.2017 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे थे। श्री दिनेश कुमार, सयुक्त सचिव (एमआईडीएच) ने तब से अर्थात् दिनांक 10.10.2017 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। कोल्ड-चेन उद्योग के विशेषज्ञ श्री पवनेश कोहली को फरवरी, 2014 से लगातार एन.सी.सी.डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सह मुख्य सलाहकार का कार्य देख रहे हैं।

एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति (ईसी) ने 13 व्यक्तियों की प्रारंभिक स्टाफ की मंजूरी दी है, जिसके अनुरूप दिनांक 31-3-2018 तक 7 पदों को भर लिया गया है। एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति में सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) की अध्यक्षता में 12 सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल के 15 सदस्यों में अपर आयुक्त (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) अध्यक्ष होते हैं। कार्यकारी समिति एवं गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की सूची संलग्न है।

सी. सोसायटी सदस्यता स्थिति

मार्च 2018 तक, एन.सी.सी.डी में 59 सक्रिय सदस्य हैं, जिनमें से 51 वार्षिक आधार पर और 8 आजीवन सदस्य हैं। श्रेणी-वार सदस्यों की सूची :

श्रेणी- शुल्क (₹.)	वार्षिक	जीवनपर्यंत	योग
कंपनी- सी (50,000 / 4,00,000)	18	5	23
सहयोगी- ए (10,000)	16	-	16
शैक्षिक संस्थान- आर (शून्य)	16	-	16
संरक्षक- पी (20,00,000)	-	1	1
उत्पादक- जी (टर्नओवर <5 लाख- शून्य; अन्य- 10,000)	1	-	-
उद्योग निकाय- I (75,000 / 5,00,000)	-	2	2
	51	8	59

वर्ष 2017-18 में 4.22 लाख रुपये सदस्यता शुल्क प्राप्त हुई है। सोसाइटी के सदस्य हितधारक प्रतिभागियों के रूप में एन.सी.सी.डी की गतिविधियों में शामिल होते हैं और एन.सी.सी.डी के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान प्रसार गतिविधि कर सकते हैं। भाग लेने वाले सदस्यों का नामांकन सामान्य रूप से समाप्त हो गया है और जिसका मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया गया है। इसके अलावा, कोल्ड-चेन डेवलपमेंट के लिए राज्यों में नोडल अधिकारियों को एमआईडीएच द्वारा नामित किया जाता है, जिन्हें राज्य स्तर की गतिविधियों के संपर्क और समन्वय की उम्मीद होती है। हालांकि, यह देखा गया है कि राज्य स्तर पर लगातार पुनर्मूल्यांकन और परिवर्तन होते हैं।

डी. प्रौद्योगिकी और अन्य पहल

दिशानिर्देश और न्यूनतम प्रणाली मानक

राज्य सरकारें अक्सर नीतिगत मामलों पर एन.सी.सी.डी का ध्यान और मार्गदर्शन चाहती हैं। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे एन.सी.सी.डी सचिवालय में सभी समर्पित संसाधनों का पता लगाएं, ताकि विशेष रूप से जहां परियोजना-विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है, वहां अधिक ध्यान दिया जा सके। एन.सी.सी.डी, एमआईडीएच की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का हिस्सा है और केंद्रीय संयुक्त निरीक्षण दल (सीजेआईटी) में भाग लिया, एमआईडीएच के अनुरोध पर 2017 में हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं को विजिट किया।

जीआईजेड के साथ ग्रीन इनोवेशन सेंटर

जीआईजेड ने जर्मनी के दूतावास के माध्यम से कर्नाटक और महाराष्ट्र में फार्म से फोर्क तक वेल्यू चेन का पता करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा। एन.सी.सी.डी से अनुरोध किया गया कि वह सलाहकार क्षमता में प्रस्ताव का मूल्यांकन करे। इन चर्चाओं के क्रम में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण ने एन.सी.सी.डी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया।

डीईए द्वारा प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया और 3 अप्रैल, 2017 को निदेशक, एन.सी.सी.डी ने जीआईजेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 3 वर्ष की अवधि में प्रारंभिक बजट यूरो 8 मिलियन है। एन.सी.सी.डी पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। ग्रीन इनोवेशन सेंटर ने एक सहायक कर्मचारी को काम पर रखा, जिसे एन.सी.सी.डी कार्यालय में रखा गया। परियोजना संचालन शुरू हुआ और मई, 2018 में पहले समाचार पत्र के प्रकाशन की योजना बनी।

अन्य वार्ता

एन.सी.सी.डी अक्सर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एचसीएफसी फेस-आउट योजना के संबंध में वार्ता करता है और यूएनईपी सहित विभिन्न बैठकों में भाग लेता है। जुलाई, 2017 को वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने नेशनल क्लिंकिंग एक्शन प्लान (एनसीएपी) की तैयारी के लिए सचिव (ईएफसीसी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और सीईओ-एन.सी.सी.डी को समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया। एन.सी.सी.डी ने एनसीएपी समिति के विचार-विमर्श में भाग लिया है।

वर्ष 2017 में, एन.सी.सी.डी ने भी खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता मामलों के लिए संसदीय स्थायी समिति के समक्ष तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु संबंधित मंत्रालयों के साथ भाग लिया।

ई. अनुप्रयुक्त अनुसंधान और अध्ययन

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति एन.सी.सी.डी को वर्ष 2017-18 के लिए डीएफआई समिति के एक ज्ञान भागीदार के रूप में चुना गया था, और उन्होंने इस वर्ष अपने प्रयासों के प्रमुख हिस्से को संबंधित अध्ययनों और इस समिति की रिपोर्टों के साथ सहायता करने के लिए समर्पित किया। एन.सी.सी.डी ने इस समिति की रिपोर्ट के संस्करणों को विकसित करने के लिए विशेष रूप से कृषि-रसद, विपणन, माध्यमिक कृषि, विस्तार सेवाओं, विज्ञान, संरचनात्मक सुधारों और शासन के संबंध में सूचना और विश्लेषण का एक व्यापक संग्रह प्रदान किया। अन्य संबंधित कार्य समवर्ती स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाओं में किए गए और समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए किए गए।

एन.सी.सी.डी द्वारा ज्ञान समर्थन के साथ एक सदस्य द्वारा शुरू किए गए कोल्ड-चेन के विभिन्न व्यक्तिगत घटकों के आवेदन के माध्यम से होने वाले मूल्यवर्धन के प्रदर्शन पर एक पायलट अध्ययन चल रहा है। अध्ययन के निष्कर्ष 2018-19 में अपेक्षित है।

एफ. जागरूकता निर्माण, कार्यशालाएँ और सेमिनार

आईसीई 2017

वार्षिक आईसीई मेला और पुरस्कार कार्यक्रम, एन.सी.सी.डी द्वारा सहायता प्राप्त सबसे लंबे समय तक चलने वाली विशेष कोल्ड-चेन घटना है। यह, आईसीई के 9वें संस्करण में विभिन्न राज्य सरकार के अधिकारियों सहित वैश्विक भागीदारी थी। वर्ष 2012 से पिछली भागीदारी की निरंतरता में, डैनफॉस आईसीई अवार्ड्स के साथ छठा वार्षिक एन.सी.सी.डी सम्मेलन 17-18 नवंबर, 2017 को चेन्नई में आयोजित किया गया था।

एफएसीई-सीआईआई के साथ कोल्ड-चेन पुरस्कार

एन.सी.सी.डी के साथ साझेदारी में, कोल्ड-चेन में परिचालन उत्कृष्टता की मान्यता सीआईआई-एन.सी.सी.डी कोल्ड-चेन अवार्ड्स की दूसरी श्रृंखला के आयोजन के साथ उन्नत हुई। इस शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माननीय मंत्री ने किया। निर्णायक मंडल की अध्यक्षता सीईओ एन.सी.सी.डी के साथ सह-अध्यक्ष के रूप में श्री अशोक दलवई, किसानों की आय दोहरी करना के समिति अध्यक्ष ने की।

अन्य कार्यक्रम और वार्ता

कोल्ड-चेन पर पीएचडीसीसीआई के साथ कई आयोजनों में भी भागीदारी की गई। रसद पर एक विशेष कार्यक्रम और किसानों की आय को दोगुना करने में इसकी भूमिका भी आयोजित किया गया। 18 अप्रैल, 2018 को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम द्वारा आयोजित क्लीन कोल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में मुख्य वक्ता के रूप में सीईओ-एन.सी.सी.डी को आमंत्रित किया गया। सीईओ ने मार्च, 2017 में नॉर्डबोर्ग में आईडीसीसी (इंडो-डैनिश-चेंबर ऑफ कॉमर्स) को भी संबोधित किया। उन्हें नवंबर, 2017 में रोम में कोल्ड-चेन के विकास पर अपनी तकनीकी बैठक के लिए एफएओ को और अप्रैल 2018 में ईसीओएसओसी-यूएन द्वारा जिम्बाब्वे को वैश्विक विशेषज्ञों की बैठक में आमंत्रित किया गया था।

सीईओ-एन.सी.सी.डी ने नेशनल डिफेंस कॉलेज में, टेरा और आईएफपीआरआई में कार्यशालाओं में, पूसा में आईईएस प्रशिक्षुओं को व्याख्यान दिया। इस वर्ष एनसीडीसी की वरिष्ठ टीम के लिए कोल्ड-चेन पर एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई। एन.सी.सी.डी ने वर्ष 2017 के दिसंबर में नागपुर में वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल में और मार्च, 2018 में तीसरी एग्री लीडरशिप समिट के विशेषज्ञ पैनल में भाग लिया। एन.सी.सी.डी के सदस्यों के साथ पुणे में पेरी-अर्बन कोल्ड-चेन पर किसानों की कार्यशाला आयोजित की गई।

साइंस एंड इनोवेशन नेटवर्क (डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यूके) द्वारा होस्ट की गई यूके की अध्ययन यात्रा की रिपोर्ट अप्रैल, 2017 में जारी की गई। दिसंबर, 2017 में हेरियट वाट यूनिवर्सिटी के साथ इस अध्ययन दौरे में एक और अनुवर्ती वार्ता भी आयोजित की गई। सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के लीडरों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए सचिव डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा ईओ-एन.सी.सी.डी को जून, 2017 में नीदरलैंड सरकार के प्रभावशाली कार्यक्रम के अंतर्गत नामित किया गया था।

एन.सी.सी.डी विभिन्न सम्मेलनों और सार्वजनिक आउटरीच में लगे हैं, जो संलग्नक X में सूचीबद्ध हैं।

जी. क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार

फल पकाने वाले कक्षों के लिए उद्यमी विकास

क्षमता निर्माण में छात्रों और भावी उद्यमियों को शामिल करने के लिए फल पकाने वाले कक्षों में आन-साइट प्रशिक्षण शामिल है। सोसायटी सदस्यों (आईसीई एवं समग्र) सहित एन.सी.सी.डी द्वारा संचालित, यह दो दिन की वार्ता है, जिसे देश के कस्बों और शहरों में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 16 कार्यशालाओं के आयोजन की कुल लागत 24 लाख रुपये थी।

कोल्ड-चेन प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण

इस गतिविधि को मिनी कोल्ड रूम और इस तरह के प्रशिक्षण के लिए उपकरण के साथ कस्टम निर्मित लर्निंग सेंटर में एन.सी.सी.डी सदस्य (डेनफोस) के साथ इन-हाउस में विकसित किया गया था। देश में ऐसा कोई प्रतिष्ठान उपलब्ध नहीं है। पाठ्यक्रम को घर पर ही विकसित किया गया है और सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के लाभ के लिए लागू किया गया है। स्वतंत्र बोर्डिंग/लॉजिंग सहित 3 दिन के आवासीय पाठ्यक्रम की लागत प्रति व्यक्ति 12,000 रुपये है। वर्ष 2017-18 में 4 सत्रों में 29 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 3.32 लाख रुपये व्यय किया गया। यह एमआईडीएच द्वारा सहायता प्राप्त था।

कोल्ड-चेन पर जागरूकता बढ़ाना

यह आउटरीच एन.सी.सी.डी द्वारा उद्यमी के सामिल होने के लिए विकसित की गई थी। यह कार्य एमआईडीएच द्वारा एन.सी.सी.डी को सौंपा गया था और इसे उद्योग चैबरों (सीआईआई और पीएचडी, समाज के दोनों सदस्यों) के साथ लागू किया गया है। एन.सी.सी.डी सचिवालय प्रलेखन प्रकाशित करता है और कार्यशाला जहां संभव हो राज्यों के साथ भागीदारी में आयोजित की जाती है। ज्ञान प्रसार के लिए सोसायटी सदस्य एन.सी.सी.डी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। 2017-18 में 12 कार्यशालाओं के लिए कुल लागत 16.82 लाख रुपये थी।

कोल्ड-चेन प्रबंधन प्रशिक्षण

भारत-फ्रांस जेएडब्ल्यूजी के अंतर्गत सहयोग के हिस्से के रूप में, एन.सी.सी.डी द्वारा भारतीय हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। यह कार्यक्रम फ्रांस के सेमाफ्रोइड द्वारा समझौता जापन के अंतर्गत और एन.सी.सी.डी के साथ हस्ताक्षरित किया गया। पाठ्यक्रम भारतीय कोल्ड-चेन विकास की जरूरतों से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। प्रशिक्षण को बेहतर समझ और विषय पर सरकार और उद्योग इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए निष्पादित किया जाता है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण ने एन.सी.सी.डी को प्रति बैच 15 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी, जिसमें फ्रांस सरकार से सह-वित्त पोषण शामिल है। लागत में सेमाफ्रोइड प्रशिक्षण शुल्क और प्रतिभागियों की यात्रा शामिल है - 5 दिन के आवासीय पाठ्यक्रम के लिए प्रति व्यक्ति औसतन 1.4 लाख रुपये। फ्रांस सरकार के बोर्डिंग, लॉजिंग और स्थानीय परिवहन प्रदान करता है। यह कार्यक्रम सबसे कम टिकट किराया और अन्य व्यवस्थाओं में सोर्सिंग द्वारा अनुकूलित लागत पर किया जाता है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार एमआईडीएच द्वारा वास्तविक लागत पर इन लागतों की प्रतिपूर्ति की जाती है। 2017-18 में 3 प्रशिक्षण सत्रों में 28 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 35.42 लाख रुपये व्यय किया गया।

एच. सलाहकार और अन्य सहायता

एन.सी.सी.डी कोल्ड-चेन मामलों पर विभिन्न विभागों और एजेंसियों को इनपुट प्रदान कर रहा है। सीईओ-एन.सी.सी.डी, एमआईडीएच की परिचालन/कार्यकारी समितियों का सदस्य है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण में, एमआईडीएच ने जेएडब्ल्यूजी के प्रतिनिधिमंडल सदस्य के रूप में आईसी इंटरैक्शन का समर्थन किया है। एमआईडीएच ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकार और वाणिज्य मंत्रालय से विशिष्ट निर्देश और सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो रसद पर नए लॉन्च किए गए विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परस्पर बातचीत करते हैं। एन.सी.सी.डी ने विभिन्न मंचों पर नीतिगत हस्तक्षेप और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों/रिपोर्टों का मूल्यांकन किया है। राज्य सरकार अक्सर समर्पित सहायता की मांग करती है और टीम नामित करने या विशिष्ट कार्यों को करने के लिए राज्य एन.सी.सी.डी सेल की स्थापना के लिए निर्देशित किया जाता है। एन.सी.सी.डी ऐसी टीम का मार्गदर्शन कर सकती है लेकिन अन्यथा व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए विवश है।

सी.ई.ओ कृषि व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए नीति आयोग की टास्क फोर्स का एक सक्रिय सदस्य है। एन.सी.सी.डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किगाली की बैठक से पहले एमओईएफ और सीसी द्वारा हितधारक चर्चाओं का एक हिस्सा था और राष्ट्रीय शीतलन कार्य योजना (20 वर्षों के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य) के निर्माण में भी योगदान दे रहा है। सीईओ-एन.सी.सी.डी, एमईएफ और सीसी के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए अधिकार प्राप्त संचालन समिति का एक विशेषज्ञ सदस्य भी है।

एन.सी.सी.डी सदस्य नियमित रूप से योजनाओं और दिशानिर्देशों की बेहतर समझ के लिए कार्यालय जाते हैं, साथ ही चुनौतियों के निवारण में सहायता प्राप्त करते हैं।

आई. एन.सी.सी.डी - उद्देश्य और विषयपरक

एन.सी.सी.डी एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, जो स्वायत्त तरीके से कोल्ड-चेन पर एक प्रबुद्ध मंडल(थिंक-टैंक) के रूप में कार्य करती है, और सरकार के लिए बिना किसी लागत के सार्वजनिक-निजी-साझेदारी के तहत काम करता है। प्रारंभिक पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की गई थी और एन.सी.सी.डी के उद्देश्य संस्तुति, सुझाव देना, आकलन करना और समन्वय करना, सुविधा देना और निम्नलिखित को बढ़ावा देना है :

- पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर / बिल्डिंग के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की सिफारिश करना ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके और कोल्ड-चेन उद्योग द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे / भवन, प्रक्रिया और सेवाओं के बेंचमार्किंग और प्रमाणन के लिए तंत्र का सुझाव दिया जा सके।
- संभावित निवेशकों / उद्यमियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश सुझाव देना।
- कोल्डचेन संरचना के लिए उपयुक्त आईटी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का आकलन और विकास करना।
- हितधारकों के साथ परामर्श से कोल्ड-चेन उद्योग के विकास हेतु अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए आवश्यक कार्य और समन्वय करना।
- मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी) और क्षमता निर्माण के कार्य को शुरू करने और समन्वय करना । यह कोल्ड-चेन विकास के लिए प्रासंगिक इन-हाउस ट्रेनिंग, अल्पकालिक / दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी संचालित कर सकता है।
- एकीकृत कोल्ड-चेन के लाभों के बारे में जागरूकता निर्माण सहित हितधारकों को शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना ।
- कोल्ड-चेन के विकास से संबंधित उपयुक्त नीति ढांचे की सिफारिश करना।
- विनश्वर कृषि, बागवानी और संबद्ध वस्तुओं हेतु बहु-मोडल परिवहन सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना और परिशुद्ध क्मोडिटीज के लिए नेशनल ग्रीन ग्रिड की स्थापना करना।

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी)

मार्च, 2018

जे. एन.सी.सी.डी की कार्यकारिणी (स्टेट्स)

क्र. सं.	नाम और पता	पद
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	अपर सचिव (प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य (दिनांक 7.1.2013 को जीसी द्वारा अनुमोदित)
3	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य
4	संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य (दिनांक 7.1.2013 को जीसी द्वारा अनुमोदित)
5	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 18, गुडगांव, हरियाणा	समिति के सदस्य
6	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव, भारत सरकार के समकक्ष पद से नीचे न हों) रेल भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य
7	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित व्यक्ति (25.7.14 को सचिव- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण द्वारा अनुमोदित)
8	सचिव, पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि डेयरी और मत्स्य पालन (डीएचडीएफ), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित व्यक्ति (25.7.14 को सचिव- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण द्वारा अनुमोदित)
9	प्रबंध निदेशक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली -110016	समिति के सदस्य
10	श्री पी. रविचंद्रन अध्यक्ष, सी.आई.आई.के डैनफॉस इंडिया एवं सी हायरमेन - कोल्ड-चेन के टास्क फोर्स, चेन्नई	समिति के सदस्य
11	सुश्री मीतू कपूर ईडी-फेस, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (CII), फेस, कोर 4ए इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	समिति के सदस्य
12	श्री एम.एल. अरोड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ताजा और स्वस्थ उद्यम लिमिटेड, कोनकोर HSIIDC औद्योगिक एस्टेट, राय, सोनीपत-131029 (हरियाणा)	समिति के सदस्य
13	निदेशक, एन.सी.सी.डी	सदस्य सचिव

(जब तक कोष्ठक में अन्यथा नहीं दर्शाया जाता - एन.सी.सी.डी के उपनियमों के अनुसार)

के. एन.सी.सी.डी की शासी(गवर्निंग) परिषद(स्टेट्स)

क्र. सं.	नाम	सोसाइटी में पदनाम
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2	वित्तीय सलाहकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य (2.3.15 को सचिव- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण द्वारा अनुमोदित)
3	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002	पदेन सदस्य
4	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5	संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि, (संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे न हों) पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7	प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, सेक्टर 18, गुडगांव, हरियाणा	पदेन सदस्य
8	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद से नीचे न हों), रेल भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9	अध्यक्ष - ए.पी.डी.ए एनसीयूआई भवन, 3 संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10	प्रबंध निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम 4/1, सिरी फोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली -110016	पदेन सदस्य
11	डीएसी द्वारा दो अलग-अलग राज्यों के नामित एपीसी /निजी सचिव / सचिव (कृषि / बागवानी / विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित।
12	डीएसी द्वारा दो अलग-अलग राज्यों के नामित एपीसी /निजी सचिव / सचिव (कृषि / बागवानी / विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित।
13	भारतीय वाणिज्य मंडल (सीआईआई) परिसंघ के प्रतिनिधि - कोल्ड- चेन पर टास्क फोर्स अध्यक्ष सीआईआई - 23, संस्थागत क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	सदस्य
14	निदेशक एन.सी.सी.डी	सदस्य सचिव

(जब तक अन्यथा न कहा जाए- एन.सी.सी.डी के उपनियमों के अनुसार)

एल. वर्ष 2017-18 में एन.सी.सी.डी की प्रत्यक्ष भागीदारी वाले कार्यक्रम, सम्मेलन और आपसी संवाद

दिनांक	स्थान	विषय	मुख्य आयोजक
28 मार्च, 17	नॉर्डबोर्ग, डेनमार्क	इंडो डच चैंबर ऑफ कॉमर्स आईडीसीसी - भारतीय कोल्ड चैन की आवश्यकताएं एवं अवसर	आईडीसीसी
25-26 अप्रैल, -17	नई दिल्ली	राष्ट्रीय खरीफ अभियान	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण
28 अप्रैल, 17	नई दिल्ली	रेफ्रीजरेशन एवं एयरकंडीशनिंग में थर्मल ऊर्जा भंडारण का अनुप्रयोग	टीईआरआई विश्वविद्यालय
3 मई, 17	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	भारत एकीकृत परिवहन और रसद समिट 2017	एमआरटीएच
3 मई, 17	आईएचसी, नई दिल्ली	कृषि सम्बंधित भारत-इजराइल सम्मेलन	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण
11 मई, 17	पीएचडी, दिल्ली	पीएचडी-निकाय क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला बॉडी	पीएचडीसीसीआई
23-24 मई, 17	आगरा	यूएनईपी वार्षिक एस-एशिया नेटवर्क मीटिंग	यूएनईपी, एमओईएफसीसी
5-9 जून, 17	नीदरलैंड	"कृषि, कृषि-उपस्कर एवं खाद्य प्रसंस्करण" के लिए प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल	नीदरलैंड सरकार
5 जुलाई, 17	नई दिल्ली	कृषि नवाचार पर चर्चा	जर्मन दूतावास
6 जुलाई, 17	आगरा	एफसीएओआई सम्मेलन	एफसीएओआई
25 जुलाई, 17	दिल्ली	वैश्विक खाद्य संकट और सुरक्षा आशय	नेशनल डिफेंस कॉलेज
27 जुलाई, 17	पीएचडी, दिल्ली	कोल्ड चैन विकास पर नेशनल कॉन्क्लेव	एन.सी.सी.डी-पीएचडी
12 अगस्त, 17	सीआईआई, दिल्ली	कृषि पर सीआईआई परिषद	सीआईआई-एन.सी.सी.डी
17 अगस्त, 17	इस्लामिक सेंटर, दिल्ली	मीडिया टुडे जूरी पुरस्कार समिति	मीडिया टुडे
28-31 अगस्त, 17	बीआईआईसी, बेंगलुरु	एग्रीटेक इंडिया 2017	मीडिया टुडे-एन.सी.सी.डी
2 सितम्बर, 17	अहमदाबाद	रेफकोन 2017 - खाद्य प्रशीतन	आईएसएचआरआई
14 सितम्बर, 17	दिल्ली	डीडी किसान वार्ता	डीडी किसान
15 सितम्बर, 17	गुवाहाटी	कोल्ड चैन एन.सी.सी.डी-पीएचडी जागरूकता कार्यक्रम	एन.सी.सी.डी-पीएचडी
19 सितम्बर, 17	विज्ञान भवन, दिल्ली	रबी सम्मेलन	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण
22 सितम्बर, 17	गुडगाँव	वार्षिक व्यापार संघ	सीआईआईएल
25 सितम्बर, 17	ललित, दिल्ली	सीआईआई राष्ट्रीय कोल्ड चैन सम्मेलन एवं कोल्ड-चैन पुरस्कार	सीआईआई-एन.सी.सी.डी
4 अक्टूबर, 17	आईटीसी मोर्य, दिल्ली	कृषि संबंधी मामले पर विश्व आर्थिक मंच संगोष्ठी	डब्ल्यूईएफ
10 अक्टूबर, 17	एनएएससी, दिल्ली	पूर्वी भारत में हरित क्रांति पर कार्यशाला	आईएफपीआरआई
24 अक्टूबर, 17	पूसा, दिल्ली	बिजनेस स्टैंडर्ड शिखर सम्मेलन	बिजनेस स्टैंडर्ड
3-5 नवंबर, 17	विज्ञान भवन, दिल्ली	वर्ल्ड फूड इंडिया 2017	MoFPI - सीआईआई
6 नवंबर, 17	एनएएससी कॉम्प्लेक्स	प्रथम इंडो-जापान जेडब्ल्यूजी के बाद बी 2 बी इंटरैक्शन	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण
8 नवंबर, 17	लीला, दिल्ली	एलएनजी कॉन्क्लेव 2017	मीडिया टुडे
17 दिसम्बर, 17	नागपुर	वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल 2017	लोकमत, यूपीएल
3 जनवरी, 18	टीईआरआई, दिल्ली	कृषि व्यवसाय में उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	टीईआरआई विश्वविद्यालय

दिनांक	स्थान	विषय	मुख्य आयोजक
12 जनवरी, 18	पीएचडी हाउस, दिल्ली	किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोल्ड-चेन पर राष्ट्रीय सम्मेलन	पीएचडीसीसीआई-एन.सी.सी.डी
19 जनवरी, 18	शांगरी ला, दिल्ली	एआरसीओएन 2018, एसोसिएशन ऑफ अमोनिया रेफ्रिजेशन (एएआर)	एएआर इंडिया
23 जनवरी, 18	जयपुर	एनआईएएम एग्री-मार्केटिंग वैलिडिक्टी सेशन	एनआईएएम
2 फरवरी, 18	पीएचडी हाउस	आरएसी इंडिया एक्सकॉन	पीएचडी
6 फरवरी, 18	एनसीएल, पुणे	किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोल्ड-चेन पर कार्यशाला	सीआईआई-फेस - एन.सी.सी.डी
19-20 फरवरी, 18	एनएससी, पूसा	कृषि पर सम्मेलन - डीएफआई	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण
27 फरवरी, 18	ले मेरिडियन, दिल्ली	इंडिया कोल्ड चेन मार्केट और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर	फ्रॉस्ट एंड सुलिवन
16 मार्च, 18	आईएमसी, मुंबई	पैनल वार्ता- कल के भारत के लिए कोल्ड-चेन समाधान	मनीकंट्रोल और एफपीजे
21 मार्च, 18	आईएचसी, दिल्ली	कार्यशाला- प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्ट-अप पर मुख्य समूह	सीआईआई-फेस
25 मार्च, 18	रोहतक, हरियाणा	तृतीय एग्री लीडरशिप समिट	हरियाणा सरकार
18-19 अप्रैल, 18	बर्मिंघम, ब्रिटेन	कीनोट, पूर्ण सत्र: इंटल क्लीन कूटिंग के लिए सम्मेलन	बर्मिंघम विश्वविद्यालय

एम. प्रयुक्त संक्षिप्त और परिभाषाएँ

एपीईडीए	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात विकसित करने के लिए और कोल्ड-चेन के बुनियादी ढांचे के विकास को सहायता करता है।
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ: सीआईआई अपने खाद्य और कृषि केंद्र (एफएसीई) के माध्यम से एन.सी.सी.डी सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है, और एन.सी.सी.डी के भाग के रूप में सीधे एन.सी.सी.डी के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल होता है।
डीएसी एंड एफडब्ल्यू	कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
ईसी	कार्यकारी समिति: वह समिति जो किसी संगठन के कार्यकारी कार्यों का निर्णय करती है।
एफएओ	संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन
एफसीएसएओआई	भारत के कोल्ड स्टोरेज संघों का संघ: कोल्ड स्टोरेज के राज्य स्तरीय संघों के अखिल भारतीय गठबंधन।
एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन: जहाँ किसानों का समूह अपने उद्यम स्तर के संचालन के लिए एक संस्थागत संरचना का निर्माण करता है।
जीसी	गवर्निंग काउंसिल: वह काउंसिल जो कार्यकारी की देखरेख करती है और नीतिगत निर्णय लेती है
एचसीएफसी	हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन: रेफ्रिजेंट में प्रयुक्त एक निष्क्रिय यौगिकों का एक वर्ग जो सीएफसी की तुलना में ओजोन परत के लिए कम विनाशकारी होता है। हालांकि, उनके पास ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है।
आईसीएपी	एकीकृत कोल्ड-चेन उपलब्धता मंच
एमआईडीएच	मिशन फार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ हार्टिकल्चर: 2014 में लॉन्च किया गया यह मिशन बागवानी पर पिछली सभी योजनाओं को पूरा करता है, ताकि एकीकृत और परियोजना सभी परिणामों को पूरा कर सके।
एमएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय: कोल्ड-चेन सब्सिडी प्रोग्राम भी लागू करता है।
एन.सी.सी.डी	नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलपमेंट: सार्वजनिक और निजी हितधारकों का एक संस्था, जिसे कृषि मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाती है और सरकार को किसी भी कीमत पर सरकार के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्वायत्त तरीके कार्य करता है।
एनईजीपी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोग्राम
एनएचबी	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड: एमआईडीएच के केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी।
एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन: एमएमआईडीएच की उप-योजना।
एनएलए	राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी: एमआईडीएच द्वारा संगठनों को तकनीकी और ज्ञान सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता के लिए पहचाना गया है। एनएलए योजना को लागू तो नहीं करते परंतु कार्य योजना की स्वीकृति के बाद विशिष्ट सहायता कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है।
पीएचडी	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री: पीएचडी एन.सी.सी.डी सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है, और एन.सी.सी.डी के हिस्से के रूप में सीधे एन.सी.सी.डी के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल होता है।
पीपीपी	सरकारी निजी भागीदारी। आम तौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देखा जाता है जहां एक रियायतकर्ता भूमि और धन के रूप में सरकारी सहायता का उपयोग करता है, और परियोजना रियायत अवधि के अंत में सरकार को वापस कर देती है। एन.सी.सी.डी के मामले में, इसके अतिरिक्त का है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संयुक्त नेतृत्व संरचना के माध्यम से संचालन और कार्या को संयुक्त रूप से प्रबंधित करते हैं, जहां प्रशासन सरकार के अधीन है और कार्यकारी निर्णय उद्योग के नेतृत्व में है।
एसएचएम	राज्य बागवानी मिशन: एमआईडीएच की केंद्रीय प्रायोजित गतिविधियों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी।
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

4232/1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002
फोन : 23261100; 23263598; फैक्स : 43518988,
ईमेल: apn_associates@yahoo.in, jn50@rediffmail.com

फार्म नं.10बी

[नियम 17बी देखें]

धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों अथवा संस्थानों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए(बी) के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, नई दिल्ली के तुलनपत्र की जांच की है और उस वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाता (आय और व्यय का खाता) उस तारीख को समाप्त हो गया है, जो उक्त संस्थान द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों के अनुसार है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत मानकों का ध्यान रखते हुए लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों में किसी गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में अमाउंट्स और खुलासे का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल हैं। एक लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, खातों की उचित पुस्तकें प्रधान कार्यालय में रखी गई हैं और नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त खाते सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं:

(क) 31 मार्च, 2018 को उपर्युक्त नामतः संस्थान के मामलों की स्थिति के रूप में तुलनपत्र के मामले में, और
(ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इसके लेखांकन के लाभ अथवा हानि (आई एवं ई. खाता) के मामले में,

निर्धारित विवरण इसके साथ संलग्न किए जाते हैं।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 24 -09 -2018

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001876 एन

हस्ता./-

(सी.ए जितेन्द्र नाथ)

पार्टनर

एम.नं : 015549

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
31 मार्च, 2018 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	(रुपए)	
		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
पूंजीगत निधि एवं देयताएं :			
पूंजीगत निधि	1	2500,00,000	2500,00,000
सामान्य निधि (आरक्षित एवं अधिशेष)	2	590,17,572	551,41,317
आई.टी.अधिनियम 1961 के यू/एस11 (2) सेट एसाइड	3	458,27,572	335,82,698
चालू देयताएं	4	137,64,313	36,06,356
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, कॉर्पस	5	16,152	21,915
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, एन.एल.ए.	5	5,69,949	6,62,548
कुल		3691,95,558	3430,14,834
परिसंपत्तियां :			
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, कॉर्पस	5	16,152	21,915
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, एन.एल.ए.	5	5,69,949	6,62,548
निवेश - मियादी जमा	6	3356,27,966	3262,24,940
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	7	329,81,491	161,05,431
कुल		3691,95,558	3430,14,834

खातों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

11

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन. एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001876N

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

(सीए.जितेंद्र नाथ)
भागीदार
सदस्यता संख्या 015549

(के.के. ढींगरा)
सलाहकार वित्त

(पवनेश कोहली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(प्रधानत कुमार स्वाई)
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 24.09.2018

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता

(Rupees)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
आय :			
सदस्यता अंशदान		4,22,000	17,15,000
अर्जित ब्याज	8	254,19,702	285,42,608
अन्य आय	9	-	4,01,300
कुल (ए)		258,41,702	306,58,908
राजस्व व्यय :			
स्थापना (वेतन एवं मजदूरी)		81,27,413	85,46,188
प्रशासनिक व्यय	10	15,93,160	22,41,281
कुल (बी)		97,20,573	107,87,469
व्यय से अधिक आय(ए-बी)		161,21,129	198,71,439
घटाएं : जनरल रिजर्व में अंतरण		38,76,255	45,98,836
आई.टी.अधिनियम के यू/एस11 (2) सेट करें		122,44,874	152,72,603

खातों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

11

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन. एवं एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन : 001876N

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

(सीए.जितेंद्र नाथ)
 भागीदार
 सदस्यता संख्या 015549

(के.के. ढींगरा)
 सलाहकार वित्त

(पवनेश कोहली)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(प्रसान्त कुमार स्वाई)
 निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
 तिथि : 24.09.2018

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
31 मार्च, 2018 को वित्तीय विवरणों के रूप में अनुसूची का हिस्सा

अनुसूची 1 : पूंजीगत निधि

विवरण	(रुपए)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2500,00,000	2500,00,000
कुल	2500,00,000	2500,00,000

अनुसूची 2 : सामान्य निधि (आरक्षित एवं अधिशेष)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार आरंभिक शेष	551,41,317	505,42,481
जोड़े : व्यय से अधिक आय	38,76,255	45,98,836
कुल	590,17,572	551,41,317

अनुसूची 3 : आई.टी. अधिनियम 1961 के यू/एस11(2) सेट एसाइड

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार आरंभिक शेष	335,82,698	183,10,095
जोड़े : आई.टी. अधिनियम-वि.व. 2016-17 के यू/एस11 (2) सेट एसाइड	122,44,874	152,72,603
कुल	458,27,572	335,82,698

अनुसूची 4 : चालू देयताओं का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
देय खर्चे एन.एल.ए.(देययोग्य)	62,70,363 74,93,950	24,71,239 11,35,117
कुल	137,64,313	36,06,356

अनुसूची 6 : निवेश - मियादी जमा

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा	3156,97,669	3062,94,643
आईसीआईसीआई बैंक में मियादी जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	199,30,297	199,30,297
कुल	3356,27,966	3262,24,940

अनुसूची 7- चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ए. चालू परिसंपत्तियां :		
भारतीय स्टेट बैंक खाते में बैलेंस	250,32,051	106,25,763
बी. ऋण एवं अग्रिम		
टीडीएस मूल्या. वर्ष 2015-16	-	26,78,895
टीडीएस मूल्या. वर्ष 2016-17	26,78,895	27,79,561
टीडीएस मूल्या. वर्ष 2017-18	27,79,561	
टीडीएस मूल्या. वर्ष 2018-19	24,79,280	
कार्यालय अग्रदाय	9,704	19,212
प्रतिभूति जमा (आईएसडी)	2,000	2,000
कुल	329,81,491	161,05,431

अनुसूची 8- अर्जित ब्याज

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ सावधि जमा पर ब्याज	247,92,136	277,96,925
भारतीय स्टेट बैंक खाते में बैलेंस पर ब्याज	9,74,969	7,45,683
घटाएं : एमआईडीएच को देय ब्याज	3,47,403	-
	6,27,566	7,45,683
कुल	254,19,702	285,42,608

अनुसूची 9- अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परियोजना समीक्षा(अप्रेजल)	-	4,00,000
विविध आय	-	1,300
कुल	-	4,01,300

अनुसूची 10-प्रशासनिक खर्च

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
बैठक एवं सेमीनार खर्च	-	7,00,000
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	35,223	35,037
यात्रा खर्च	53,449	-
कार्टेज	38,805	43,100
टेलीफोन एवं इंटरनेट	1,07,844	93,514
चिकित्सा बीमा	25,000	28,750
प्रोफेशनल प्रभार	7,90,330	8,09,538
विविध खर्च	11,060	45,279
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	13,085	5,591
परिवहन प्रभार	4,19,489	3,23,081
मरम्मत एवं अनुरक्षण	50,934	4,830
बैंक प्रभार	2,168	980
अतिथि/कर्मचारी कल्याण	45,773	43,971
आई.टी. विभाग को ब्याज (मू.व. 2015-16)		1,07,610
कुल	15,93,160	22,41,281

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
31 मार्च, 2018 को वित्तीय विवरणों के रूप में नोट का हिस्सा

अनुसूची 5 स्थायी परिसंपत्तियां - कॉर्पस

विवरण	ब्लॉक	(रुपए)				
		डब्ल्यूडीवी 1.4.2017 को	जोड़े(एडीशन) वि.व. 2017-18	कुल 31.3.2018 को	मूल्यहास वर्तमान वर्ष हेतु	डब्ल्यूडीवी 31.3.2018 को
वाटर डिस्पेंसर	15%	4,587	-	4,587	688	3,899
माइक्रोवेव	15%	5,755	-	5,755	863	4,892
मोबाइल	15%	6,072	-	6,072	911	5,161
उप-योग		16,414	-	16,414	2,462	13,952
कंप्यूटर्स	60%	3,305	-	3,305	1,983	1,322
लैपटॉप	60%	1,146	-	1,146	688	458
सॉफ्टवेयर(टेली)	60%	1,050	-	1,050	630	420
उप-योग		5,501	-	5,501	3,301	2,200
कुल		21,915	-	21,915	5,763	16,152

अनुसूची 5 स्थायी परिसंपत्तियां - एन.एल.ए.

विवरण	ब्लॉक	(रुपए)				
		डब्ल्यूडीवी 1.4.2017 को	जोड़े(एडीशन) Before 30.9.17	कुल 31.3.2018 को	मूल्यहास वर्तमान वर्ष हेतु	डब्ल्यूडीवी 31.3.2018 को
फर्नीचर	10%	1,67,259	-	1,67,259	16,726	1,50,533
उप-योग		1,67,259	-	1,67,259	16,726	1,50,533
कार्डलेस फोन	15%	52,987	-	52,987	7,948	45,039
एलसीडी स्क्रीन	15%	36,387	-	36,387	5,458	30,929
स्कैनर/फोटोकॉपियर	15%	27,943	-	27,943	4,191	23,752
टेबलेट्स	15%	82,180	-	82,180	12,327	69,853
मोबाइल	15%	59,034	-	59,034	8,855	50,179
रेफ्रिजरेटर	15%	9,826	-	9,826	1,474	8,352
एयर कंडीशनर	15%	1,22,775	50,786	1,73,561	26,034	1,47,527
लेमिनेशन मशीन	15%	4,717	-	4,717	708	4,009
उप-योग		3,95,849	50,786	4,46,635	66,995	3,79,640
प्रिंटर	60%	4,861	-	4,861	2,917	1,944
लैपटॉप	60%	91,460	-	91,460	54,876	36,584
सॉफ्टवेयर(प्रेजी)	60%	3,119	-	3,119	1,871	1,248
उप-योग		99,440	-	99,440	59,664	39,776
कुल		6,62,548	50,786	7,13,334	1,43,385	5,69,949

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2018 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां

नोट 11

लेखांकन नीतियां

- 1) खातों को लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के अनुसार एक ऐतिहासिक कॅन्सर्न के आधार पर तैयार किया जाता है और क्रमिक आधार आय एवं व्यय को मान्यता देता है। लेखांकन नीतियों को विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं किया जाता है, जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं।
- 2) वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियां खरीद के वर्ष में आय एवं व्यय खाते में प्रभारित की जाती हैं और साथ ही प्रत्यक्ष और वित्तीय नियंत्रण के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के तहत तुलन-पत्र में अंतरित की जाती हैं।
- 3) निवेशों का लागत पर मूल्य होता है।
- 4) विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय की दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। शेष बची हुई विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को अंतिम वर्ष दर(ईयर इंड रेट) पर स्थानांतरित (ट्रांसलेट) किए गए हैं। मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के ट्रांसलेशन में अंतर और विदेशी मुद्रा लेन-देन पर वास्तविक लाभ/हानि चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त हैं।
- 5) एम.आई.डी.एच. योजनाओं के तहत प्राप्त निधियों का अलग से लेखा-जोखा और अनुमोदित गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाता है।

लेखे पर टिप्पणियां (नोट्स ऑन अकाउंट्स)

- 1) सोसायटी आयकर अधिनियम की धारा 12ए.ए के तहत पंजीकृत है और चूंकि आई.टी. अधिनियम की धारा 11 के तहत सोसायटी की आय में छूट है, इसलिए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, इसके अलावा इसने वित्त वर्ष 2015-16 में रु.1,83,10,095, वित्त वर्ष 2016-17 में रु.1,52,72,603 और वित्त वर्ष 2017-18 में रु. 1,22,44,874 का संचय किया है, जो आई.टी अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कुल धनराशि रु. 4,58,27,572 है, जिसका अगले पांच वर्षों में उपयोग किया जाएगा।

- 2) कोल्ड-चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय चेन-कोल्ड विकास केंद्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को जी.एस.टी से छूट दी गई है ।
- 3) सोसायटी को दिनांक 01-04-2017 को अव्ययित बैलेंस रु.11,35,117/- के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से वित्त वर्ष 2017-18 में रु. 1,50,00,000/- की राष्ट्रीय स्तर एजेंसी(एन.एल.ए.) निधि प्राप्त हुई, जिसमें से रु.89,88,570 को अनुमोदित गतिविधियों पर खर्च किया गया था और दिनांक 31-03-2018 को शेष राशि रु.74,93,950/-(अव्ययित बैलेंस पर रु.3,47,403 के ब्याज सहित) अप्रयुक्त रही ।
- 4) एन.एल.ए. के रूप में मिशन प्रबंधन प्रभागों को परियोजनाओं लागत के 5% पर प्रतिबधित हैं और तदनुसार प्रासंगिक व्यय शीर्ष में संलग्न हैं ।

अंकित तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन. एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001876एन

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)
भागीदार
सदस्यता संख्या 015549

(के.के. ढींगरा)
सलाहकार वित्त

(पवनेश कोहली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(प्रशांत कुमार स्वैन)
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक :24.09.2018